न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी

दाताराम, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 61/अपील–प्रापत्र 14(4)/18

तारीख दायरा 04.05.18

1. बजरंगलाल आयु 65 वर्ष आ0 बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम तारज उप तहसील सारोलाकंला।
2. रामकल्याण आयु 60 वर्ष आ0 बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम तारज उप तहसील सारोलाकंला।
3. बलराम आयु 57 वर्ष आ0 बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम तारज उपतहसील सारोलाकंला।

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. श्री छीतरलाल आ0 माधोलाल आयु 75 वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम तारज उप तहसील सारोलाकंला।
2. श्री बनवारीलाल आयु 35 वर्ष आ0 हरिबल्लभ जाति धाकड़ निवासी तारज उप तहसील सारोलाकंला
3. श्री विनोद आयु 33 वर्ष आ0 हरिबल्लभ धाकड़ निवासी तारज उप तहसील सारोलाकंला
4. श्रीमति मोहनीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री हरिबल्लभ पत्नि श्री ज्ञानचन्द जाति धाकड़ निवासी तारज उप तहसील सारोलाकंला।
5. श्रीमति गीता बाई आयु 60 वर्ष पत्नि श्री हरिबल्लभ धाकड निवासी तारज उप तहसील सारोलाकंला
6. भूमि आवंटन सलाहकार समिति अकलेरा

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा14(4) के अन्तर्गत आवंटन दिनांक 16.01.77 निरस्त किये जाने।

उपस्थितः– 1. सुश्री भगवती, वकील प्राथीगण
2 श्री बद्रीलाल माहेश्वरी, वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णयः–

दिनांकः 04.12.2019

यह प्रा0पत्र प्राथीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 16.01.77 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। प्रा0पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी छीतरलाल आ0 हरिबल्लभ ने दिनांक 16.01.1977 को परगना अधिकारी अकलेरा के समक्ष आराजी ख0न0 690 की 6 बीघा 17 बिस्वा के आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश किया इस प्रा0पत्र पर पटवारी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जो कतई गलत थी तथा सही तथ्यों को छिपाया गया था। पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी छीतरलाल व हरिबल्लभ को भूमि आवंटन के आदेश दिनांक 16.01.1977 को जारी कर दिया–माननीय आवंटन सलाहकार समिति का आदेश दिनांक 16.01.77 कानूनन आवंटन नियमों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है–यह कि अप्रार्थीगण ने ग्राम पटवारी के संग

षडयंत्र करके धोखाधड़ी से अपने आपको भमिहीन बताया है जो सरकारी रेकार्ड के विरूद्व है–भूमि आवंटन की तारीख को अप्रार्थी छीतरलाल व हरिबल्लभ के खाते मे व हिस्से में लगभग 23 बीघा भूमि थी छीतरलाल व हरिबल्लभ भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नही आते थे, फिर भी उनको भूमि का आवंटन कानून व नियमों के विरूद्व हुआ है जो निरस्त होने योग्य है, छीतरलाल व हरिबल्लभ के खाते सम्वंत 2035–2038 तक की नकल पेश है, इसी प्रकार एक दूसरे खाते में अप्रार्थीगण की 6 बीघा भूमि दर्ज है जमाबंदी सम्वंत 2035–2038 की पेश है–इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा सरकार के साथ धोखा कर भूमि आवंटन करवाली है। अप्रार्थीगण नं0 2 की मृत्यु हो गई है अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 उसके कानूनी वारिसान है, अब हरिबल्लभ के स्थान पर उनका नाम दर्ज हो गया है, प्रार्थना पत्र में उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण के पूर्वज एक ही परिवार के सदस्य थे वे सम्मिलित रूप से रहते थे आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का भी कब्जा था लेकिन आपसी सहमति से आराजी केवल अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज करवाली थी जबकि प्रार्थीगण का आराजी के 1/2 हिस्से पर कब्जा था तथा आज भी है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.1977 निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्राथीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया–दौराने बहस वकील उभय पक्ष उपस्थित हुये विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन के समय इस तथ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नही दिया गया कि अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक की श्रैणी में भी आते है या नही एवं उक्त भूमि किस के कब्जे काश्त में है, दौराने बहस आर0आर0डी0 अक्टूबर 2007 के पेज सं0 719–723 प्रस्तुत कर अप्राथीगण को दिनांक 29.09.77 को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु कहा गया। विद्वान अभिभाषक अप्राथीगण द्वारा दौराने बहस अनुरोध किया गया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों को दृषित रखते हुवे विधि अनुरूप प्रकियानुसार अप्रार्थीगण को भूमि का आवंटन किया गया है, जिस पर अप्रार्थीगण को कई वर्षो से खातेदारी अधिकार प्राप्त है, इस संबंध में दौराने बहस आरआरटी 2018(2) पेज सं0 1007–1010, आरआरटी 2018 (1)पेज सं0 299–306, आरआरटी 2018 (1)पेज सं0 285–289 एवं आरआरडी 14.07.08 पेज सं0 454–458, आरआरडी फरवरी 2007 पेज सं0 102–107 प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उक्त प्रा0पत्र पेश किया गया है जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही बहस विद्वान अभिभाषकगण पर मनन किया गया भूमि आवंटन के आवेदन पत्र पर अंकित पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण भूमिहीन होने पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन की गई है। आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को भूमिहीन नही होना बता रहा है, परन्तु आवेदन पत्र पर अंकित भूमिहीन होने की रिपोर्ट का स्पष्ट खण्डन नही किया है, उनके द्वारा जो रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है वह आवंटन के पश्चात का है– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आर0आर0डी0 अक्टूबर 2007 पेज सं0 719–723 जो प्रस्तुत की गई वह fraud and misrepresentation के आधार पर खारिज होने की दी है, जो यहॉ चस्पा नही होती है। आवंटन नियमो के अनुसार अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है–आवंटी द्वारा भूमि आवंटन कराने में किसी प्रकार की कोई कपटपूर्ण कार्यवाही अथवा किसी प्रकार का कोई fraud and misrepresentation नही किया गया है, विधिवत आवंटन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवंटन कराया गया है, जिस पर संबंधित पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत

की गई है। हमारी सुविचारित राय के अनुसार किसी प्रकार की तकनीकी खामी के आधार पर लगभग 42 वर्ष पुराने आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई न्यायोचित आधार हमारे समक्ष नही है।

–यद्वपि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नही है, किन्तु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवंटन के लगभग 42 वर्ष की असाधारण देरी से प्रस्तुत किया गया है जिसका भी कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नही किया गया है। इस प्रकार के आवंटन को केवल मात्र मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्राड के आधार पर ही खारिज किया जा सकता है–प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे इस बाबत भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(दाताराम)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2019.12.10 14:55:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: